



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223835
CG-DL-E-21122020-223835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4060]
No. 4060]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4623(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अफिस ओफ दि डेपुटि कमिसनर, कंगपोक्पि (NH202) के कि.मी 1.03 से 1.13 मणिपुर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH202 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डेपुटि कमिसनर, कंगपोक्पि	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH202 के कि.मी.	मणिपुर	कांगपोक्पि	लहंगतिन	1 मॉगनेलजैंग

		1.03 से 1.13 तक			
--	--	--------------------	--	--	--

[फा. सं. Nhidel/pmu-ukhrul/yuj/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O.4623(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from km 1.03 to km 1.13 of Office of the Deputy Commissioner, Kangpokpi (NH202) in the State of MANIPUR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MANIPUR

Land acquisition on National Highway No. NH 202 in the State of MNIPUR

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner, Kangpokpi	1.03KM To 1.13KM	MANIPUR	Kangpokpi	Lhungtin	1 Mongneljang

[F. No Nhidel/pmu-ukhrul/yuj/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director